# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–723/2025**

देशराज गुर्जर

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.01.2025
**आदेश की दिनांक** : 07.02.2025
**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी, मेड, विराट नगर, जिला कोटपूतली, बहरोड़ में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण एसएमएस अस्पताल, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 100 किमी. दूर किया गया है और अपीलार्थी के वर्तमान स्थान को रिक्त रखा गया है। उनका यह भी तर्क है कि वर्तमान स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर का पद रिक्त है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। पूर्व में अपीलार्थी के निवेदन पर अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया था, परन्तु वर्तमान में अपीलार्थी को पुनः स्थानान्तरित किया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर दिनांक 20.09.2021 से पदस्थापित है। अतः अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के बाद अपीलार्थी को अन्य जगह पर स्थानान्तरित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावानापूर्वक किया गया हो, यह भी प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**(अध्यक्ष)**